Inspira- Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME)
ISSN : 2231–167X, General Impact Factor : 2.7282, Volume 09, No. 01, January, 2019, pp. 244-248

efgyk l'kfDrdj.k & ,d lkekftd eqnnk

योगिता रानी पंवार*

lkjk'k

भारतीय समाज में महिलाओं को परिवार का केन्द्र बिन्दु माना है। सृष्टि की निर्मात्री नारी किसी भी राष्ट्र, समाज की सभ्यता संस्कृति का मुख्य मापदण्ड है। डॉ. हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने भी नारी को किसी समाज के सांस्कृतिक विकास का प्रमुख मापदण्ड मानते हुए लिखा है कि यदि संसार में नारी न होती तो सभ्यता संस्कति न होती। किन्तु भारतीय समाज में पुरूष प्रधान समाज होने के कारण सदैव ही नारी को हेय दष्टि से देखता है, उसकी सामाजिक आर्थिक राजनैतिक सांस्कृतिक शैक्षणिक प्रस्थिति अच्छी नहीं रही है। साथ ही घरेलू हिंसा, नारी उत्पीड़न, दहेज रूपी दानव, कन्याभ्रूण हत्या, जाति के बाहर विवाह करने पर सम्मान की बजाये आदर किलिंग (हत्या) पारिवारिक निर्णयों में उपेक्षा ऐसे कारण हैं, जिन्होंने महिला सशक्तीकरण को प्रभावित किया है। देश, समाज के विकास के लिए महिला पुरूष में समन्वय, सहयोग, साहचर्य की आवश्यकता है, ताकि शोषित, पीड़ित का कल्याण हो सके। इसमें महला सशक्तीकरण महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसलिए महिलाओं के सशक्तीकरण की आवश्यकता का विषय एक ज्वलंत मुद्दा बनता जा रहा है।

ey 'kCn: *सृष्टि निर्मात्री, हेय दृष्टि, घरेलू हिंसा, ऑनर किलिंग, सशक्तीकरण, शोषित।*

---

iLrkouk

महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता

वर्तमान में आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण पाश्चात्य संस्कृति, सभ्यता का उदय होने के बावजूद भी बालक की तुलना में बालिकाओं की उपेक्षा की जाती है, शिक्षा की दृष्टि से लडकी को निरक्षर रखने, लडकों की तुलना में साधारण स्त्री शिक्षा देने की औपचारिकता है। राजनीति, व्यापार अन्य सार्वजनिक गतिविधियें में पुरूष की तुलना में उसे बराबरी का हक मांगने पर शारीरिक, मानसिक यातना देने का क्रम अभी भी जारी है। इस पुरूष प्रधान समाज में नारी एक दोयम दर्जे की नागरिक बनी हुई है। वह घर, बाहर संस्कृति की पोषिका, अर्थव्यवस्था की धुरी, नीति आधारित राजनीति की संरक्षिका बनने की सामर्थ्य रखने के बावजूद समाज में उचित स्थान नहीं प्राप्त कर सकी है। भारत में अधिकांश महिलायें आज भी गरीबी अशिक्षित, अयोग्य, अकुशल हैं महिलायें इस योग्य नहीं है, कि वे अपने परिवार, समाज में अपने संघर्षपूर्ण जीवन से उभर सके, अपनी स्थिति में सुधार कर सके। नारी को स्वयं पुरूष ने तो पीछे रखा ही है, पुरूष प्रधान मानसिकता से ग्रस्त नारियों ने भी स्वयं नारी को पीछे रखा है। जिनके कारण उनकी स्थिति समाज में दयनीय है। यद्यपि भारतीय समाज में महिलाओं को समानता का अधिकार प्रदान किया है, किंतु महिलायें वास्तविक रूप में पूर्ण समानता को हासिल नहीं कर पाई है। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य सभी क्षेत्रों में महिलायें असमानता, असुरक्षा का सामना कर रही है। महिलाएँ आज भी सम्पत्तियों का प्रबन्ध करने, व्यापार चलाने के स्वतंत्र अधिकार से वंचित हैं।

* असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, वैदिक बालिका पी.जी. महाविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।

महिला उत्पीडन

ऐसा माना जाता है कि मनुष्य एकमात्र ऐसी जाति है, जो सदा विकासशील रही है, यह चरितार्थ भी हुआ है। किंतु सभ्यता के विकास के क्रम में मानव ने ज्यों–ज्यों अपने कदम आगे बढ़ायें त्यों–त्यों सामाजिक व्यवस्था में पुरूषों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया और महिलाओं का पर्याप्त योगदान होने के बावजूद भी पीछे धकेल दिया। महिलाएं नियमित रूप से उत्पीडन झेलती रही सामाजिक व्यवस्था कठोर होने के कारण इसके विरूद्ध आवाज उठाने में भी संकोच करती रही। विश्व के सभी युगों, सभी समाजों, सभी संस्कृतियों, सभी क्षेत्रों, सभी धार्मिक समुदायों में महिलाओं का शोषण होता रहा है – कहीं अपेक्षाकृत अधिक तो कही अपेक्षाकृत कम रहा। महिलाओं का शोषण भारतीय सन्दर्भ में विशष तौर से चिंतनीय विषय है, क्योंकि शांति, अहिंसा, नारियों का सम्मान इस देश की संस्कृति के प्रतीक रहे हैं और उसी देश में आज महिलाएं सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, पारिवारिक (घरेलू), भावनात्मक, मानसिक, बलात्कार जैसी हिंसा, उत्पीडन का सामना कर रही है। भारत के प्रथम संविधान निर्माता मनु ने स्त्रियों की वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा था : स्त्री किशोरावस्था में पिता की निगरानी में, युवावस्था मे पति की निगरानी में वृद्धावस्था में पुत्र की निगरानी में जीवन यापन करती है। मनुष्य की ऐसी प्रवृत्ति रही है, कि जो हताश, निराश है, उसे और दबाया जाये मनुष्य की इसी प्रवृत्ति का शिकार महिलायें होती है। पुरूष स्त्रियों की समस्त दुर्बलताओं, प्रतिकूलताओं का दुरूपयोग करते हुए अपने शक्ति प्रदर्शन द्वारा अधिक अत्याचार करता है। विश्व की अधिकांश समाज एवं संस्कृति में आज भी महिलाओं को वंशवृद्धि में सहायक, घर के भीतर खाना बनाने से लेकर अन्य कार्यों को सम्पादित करने वाली एक मशीन के रूप में ही स्वीकृति दी जा रही है भारत जैसे देशों में लड़की को पराया धन के रूप में माना जाता है। घरेलू उत्पीडन के अतिरिक्त, सार्वजनिक शोषण, अपमान का शिकार महिलाओं को अधिक होना पड़ रहा है। लैंगिक शोषण, शारीरिक, मानसिक बलात्कार भावनात्मक यौन उत्पीड़न महिलाओं के साथ होने वाले सार्वजनिक शोषण है। बलात्कार एक पुरूष द्वारा एक महिला के विरूद्ध होने वाला शोषणात्मक, मनोवैज्ञानिक अपराध की घोषणा है। बलात्कार इस तथ्य का स्पष्ट संकेतक है, कि उनकी स्थिति एक सम्पत्ति के रूप में है। आज बलात्कार की शिकार नवजात शिशु से लेकर 80 साल की महिलायें हो रही है। यदि कोई महिला अपराध, शोषण के विरूद्ध आवाज उठाती है तो बलात्कार की उसे धमकी दी जाती है। शारीरिक शोषण महिलाओं की मानसिक हताश का कारण है, शोषण का एक रूप भी हमारा सामाजिक दृष्टिकोण रूढ़िवादीहीन है, हमारी न्याय व्यवस्था में बलात्कार महिलाओं में चरित्र हनन के रूप को अधिक उजागर करता है अपराध रूप को कम बलात्कार की शिकार। महिलाओं में चरित्र हनन के मामले खोजे जाते हैं जो मानवता के प्रति भयावह अत्याचार है। महिलाएं मौन रूप से उत्पीडन को झेलती है। इसक प्रभाव प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से परिवार, समाज पर पड़ता है। निरक्षरता, धन का अभाव, बेरोजगारी, कम मजदूरी, खराब स्वास्थ्य, अज्ञानता पुरूष प्रधान संरचना द्वारा अधिकार हनन कौशल का अभाव, आवश्यक सुविधाओं का अभाव ऐसे कई कारक है, जो महिलाओं के सर्वांगीण विकास में बाधा पहुँचाते हैं। इसलिये महिला सशक्तीकरण की आवश्यकता पडी और भारत में 2001 महिला सशक्तीकरण वर्ष मनाया जाता है।

महिला सशक्तीकरण का अभिप्राय

आज महिला सशक्तीकरण एक प्रचलित अवधारणा हो गयी है, पहले इस अवधारणा को राजनैतिक वैज्ञानिकों के द्वारा उपयोग में लाया जाता रहा था, वे इस अवधारणा को सीमित दायरे में सोचते थे साधारणतया शक्ति से तात्पर्य राजनैतिक शक्ति, किसी संस्था को संवैधानिक, प्रशासकीय नियमों को राजनैतिक रूप देने से था। बाद में इस अवधारणा का प्रयोग समाज विज्ञान के क्षेत्रों में होने लगा भूमण्डलीकरण के इस दौर में सशक्तीकरण को मुख्य रूप से था। आर्थिक रूप से गरीब राष्ट्रों पर कमजोर, शोषित जनता पर प्रयोग किया जाता रहा है। तीसरी दुनिया में काले (पिछडे वर्ग) शोषित वर्ग को सशक्त बनाने के रूप में उपयोग हुआ था। 1960–70 के दशक में स्त्रीत्ववाद बहुत अधिक बढा पूरे यूरोप में महिलाएं पुरूष प्रभुत्व, पितृसत्तात्मक समाजके विरूद्ध एक जुट हो गयी इस सन्दर्भ में काले वर्ग/श्वेत वर्ग की महिलाओं के बीच एक गठबंधन हुआ, तीसरे

विश्व के देशों में भी उच्चस्तरीय निम्न स्तरीय वर्ग समूह की महिलाओं में गठबन्धन हुआ। सशक्तीकरण की अवधारणाके उदय में तीसरे विश्व के नारीवाद का विशेष योगदान था नारीवाद सिद्धांत पित्रृतंत्र को समाज व्यवस्था का प्रधान लक्षण मानता है। यह पुरूष प्रधान समाज के प्रति विद्रोह का शंखवाद है। नारीवाद आन्दोलन के आरम्भिक संकेत 18वी, 19वीं शताब्दी के यूरोपियन चिन्तन में ढूंढे जा सकते हैं। नारीवादी आन्दोलन के अंतर्गत 3 धाराएं प्रचलित हैं – 'उदारवादी अवसर की समानता, लिंग भेद–भाव नहीं, समान कार्य का समान वेतन, गर्भपात कानून में सुधार।

आमूल परिवर्तनकारी विचारधारा – गुलामिथ फायरस्टोन ने तर्क दिा कि वर्तमान में छुटपुट सुधारी से स्त्रियों पर हो रहे अत्याचारों की जड तक नहीं पहुँच सकते। स्त्रियों के प्रति शोषण को कम करने का उपाय है, लिंग पर आधारित श्रम विभाजन समाप्त किया जाये।

समाजवादी विचारधारा – स्त्रियों के पराधीनता का कारण आर्थिक दृष्टि से पुरूष प्रधान समाज है, जिसमें पुरूष को सारी सम्पत्ति का स्वामी माना जाता है, यहा तक कि स्त्री को भी पुरूष की सम्पत्ति के रूप मे देखा जाता है। पूंजीवादी व्यवस्था है, जिसमें स्त्री को श्रम का स्त्रोत मानते हुए उसका शोषण किया जाता है।

आक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार – सशक्तीकरण विशेष रूप से किसी को अपने जीवन पर नियन्त्रण, अधिकारों की मांग के लिए मजबूत, आत्मविश्वासी बनाना है। United nation population network ने महिला सशक्तीकरण मे पाँच तत्वों को शामिल किया है – 1. महिलाओ के स्वयं के मूल्य के संदर्भ में, 2. महिलाओं के चयन, अधिकार के निर्धारक के रूप में, 3. अवसरों संसाधनों तक उनकी पहुँरच के संदर्भ में, 4. स्वयं अपने जीवन पर नियंत्रण के अधिकार के संदर्भ में, 5. राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था को बनाये रखने के लिए सामाजिक परिवर्तन की दिशा को प्रभावित करने की उनकी योग्यता के संदर्भ में।

भारत में महिला सशक्तीकरण का एक अलग अर्थ है, इसका प्रयोग दो तरह से किया जाता है – (1) अनुसूचित जाति–जनजाति वर्ग (2) महिलाओं का सशक्तीकरण और वर्गों को सशक्त बनाने के लिए संवैधानिक स्तर पर समय–समय पर प्रयास किये गये हैं, जैसे पंचायती राज अधिनियम, 1993 में 73, 74वां संशोधन महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया राजनीत में सहभागिता को बढ़ाया गया। सशक्तीकरण का विचार मानवाधिकार से आया। महिला सशक्तीकरण भौतिक, आध्यात्मिक शारीरिक, मानसिक सभी स्तरों पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है सशक्तीकरण पित्रृ सत्तात्मक दृष्टिकोण के प्रति जागरूक किया जाता है, जिसने कि महिला की प्रस्थिति को कमतर माना है। महिला सशक्तीकरण में महिला से जुडे मामले जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, कानूनी मुद्दों पर संवेदनशीलता और सरोकार व्यक्त किया जाता है। वैश्विक स्तर पर नारीवादी आंदोलनों, यूएचडीपी जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों सम्मेलनों वैश्विक रिपोर्टों, सूचकांक आदि ने महिलाओं की सामाजिक समानता, स्वतंत्रता, न्याय एवं राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रस्तुत शोध–पत्र हेतु शासन (सरकार) द्वारा महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उन्नति हेतु जिन कार्यक्रम, योजनाओं का संचालन किया जा रहा है इनमें कुछ योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है–

अंतराष्ट्रीय स्तर पर महिला मानवाधिकार

संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम संयुक्त राष्ट्रों क लोग मूलभूत मानवाधिकारों में मानव की गरिमा का महत्त्व, मूल्य में, स्त्री पुरूष के समान अधिकारों में आस्था व्यक्त करते हैं साथ ही चार्टर में महिलाओं को समानता के अधिकारों की घोषणा की गई है। अनुच्छेद 16(1) के अनुसार वयस्क पुरूष, स्त्रियों को मूलवंश राष्ट्रीयता, धर्म के कारण किसी भी सीमा के बिना विवाह करने, कुटुम्ब स्थापित कने का अधिकार है। अनुच्छेद 23(1) समान कार्य के लिए समान वेतन देने, अनुच्छेद 26(1) के अनुसार सभी व्यक्तियों को शिक्षा पाने का अधिकार है। चाहे वह स्त्री हो या पुरूष अंतराष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के उचित विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र ने विश्व महिला सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया। विभिन्न सम्मेलनों द्वारा किया गया कार्य –

- प्रमुख विश्व महिला सम्मेलन, 1975, मैक्सिको – (क) 1975 से 1984 तक महिला दशक के रूप में घोषित किया। (ख) पंचवर्षीय योजनाएँ बनाई जिसमें स्त्री शिक्षा, लिंगभेद मिटाना, महिलाओं के लिये रोजगार के अवसर बढ़ाना, नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारिता, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक क्षेत्र में समान अधिकार देने पर बल दिया।
- द्वितीय विश्व महिला सम्मेलन, 1980, कोपेनहेगन – महिलाओं को रोजगार में समानता, शिक्षा, प्रशिक्षण में समानता, मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य सेवा देना, महिलाओं के लिए कार्यालय, कक्ष आयोग बनाना, सरकारी, गैर सरकारी संगठनो में सहयोग स्थापित करना।
- तृतीय विश्व महिला सम्मेलन, 1985, नैरोबी – महिला विकास हेतु प्रगतिशील रणनीति तैयार की गयी।
- चौथा विश्व सम्मेलन, 1995, बीजिंग – सरकारी, गैर सरकारी संगठनों ने भाग लिया। निम्न उद्देश्य निर्धारित किये – (क) महिलाओं को समर्थ बनाने के लिए योजनाएं बनाना (ख) प्रतिनिधि मण्डलों की प्रगतिशील उपलब्धियों की पुनरावलोकन करना।
- नई दिल्ली सम्मेलन, 1997 – 1997 में वीमेन्स पॉलिटिकल वाच नामक और गैर सरकारी संगठन ने संयुक्त राष्ट्र संघ राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से विश्व सांसद सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया। इसका उद्देश्य महिलाओं की सत्तामें भागीदारिता का भारत में 19वीं शताब्दी में पश्चिमी शिक्षा के आगमन से संस्कृतियों में टकराव हुआ। फलस्वरूप अधिकारों की बात की जाने लगी, लोग परम्परागत ढांचे से बाहर निकलकर सोचने लगे महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाने लगा। 1917, 1926, 1924 भारतीय महिला संघ, भारतीय महिला परिषद, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन स्थापित हुए। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार को लागू करने के लिए 1950 में संवैधानिक उपाय किये – भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 – विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण दिया स्त्रियों को पुरूषों के समान संरक्षण दिया। अनुच्छेद 15 – धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव समाप्त किया। अनुच्छेद 15(3) – बालकों, स्त्रियों के संरक्षण हेतु प्रावधान किया। अनुच्छेद 15(4) – शैक्षणिक रूप से पिछडे वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 16 – लोक सेवाओं में स्त्री–पुरूष को अवसर की समानता। अनुच्छेद 21(क) – राज्य विधि बनाकर 6–14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिये निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करती है। इसमें बालिकायें भी सम्मिलित हैं। अनुच्छेद 21 – स्त्री–पुरूष को समान रूप से प्राप्त है। किसी व्यक्ति को उसके प्राण दैहिक स्वाधीनता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जायेगा। अनुच्छेद 42 – स्त्रियों को प्रसूती अवकाश दिया जाता है। अनुच्छेद 51 – प्रत्येक नागरिकों का यह कर्त्तव्य होगा कि ऐसी प्रथा का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हो। अनुच्छेद 325, 326 – निर्वाचक नामावली में महिला पुरूष को समान रूप से मत देने, चुने जाने का अधिकार देता है। कई ऐसे अधिनियम लागू किये गये हैं, जो सरकारी योजनाएं कानून, संविधान द्वारा महिलाओं के सुरक्षा, कल्याण हेतु बनाये गये हैं जैसे – सती प्रथा निवारण अधिनियम, 1987, दहेज प्रथा निवारण अधिनियम 1961, संशोधन (1966), बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929, संशोधन 1976, स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिबन्ध) अधिनियम (1966) औषधियों द्वारा गर्भ गिराने से रोकने सम्बन्धित अधिनियम, 1971, विशेष विवाह अधिनियम 1954, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 संशोधित (1986) प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994, 73, 74वां संविधान संशोधन, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, दहेत निरोध अधिनियम 1961, सती निवारण अधिनियम 1987, अपराध प्रक्रिया अधिनियम 1973, हिन्दू विवाह अधिनियम में संशोधन, भारत में विवाह का अनिवार्य पंजीकरण, महिलाओं के लिए लोक सभा, राज्य सभा में उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। हिन्दू विधवा पुनिर्विवाह अधिनियम 1858, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–1956), द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1961–1974), द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–1961), छठी

पंचवर्षीय योजना (1980–1985), 7वीं पंचवर्षीय योजना (1985–1990), आठवीं पंचवर्षीय योजना, नवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002), दसवीं पंचवर्षीय योजनाएं (2003–2007), ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) लागू की गयी। महिला समृद्धि योजना (1992), ग्रामीण महिला विकास परियोजना (1996), राज राजेश्वरी बीमा योजना (1997), इंदरा महिला योजना (1995), महिला विकास कार्यक्रम (1984), सामूहिक विवाहों हेतु अनुदानन, किशोर बालिका योजना, लाडली, जिला महिला सहायता समिति, स्वयं सहायता समूह, बालिका समृद्धि योजना (2 अक्टूबर, 1997), राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, बी.पी.एल. परिवारों के लिए, एकीकृत जनसंख्या एवं विकास योजना (आई.पी.डी.), एकीकृत महिला सशक्तीकरण (स्वयं सिद्धा) 1995, अल्पवास गृह योजना, (राष्ट्रीय महिला कोष 30 मार्च 1993), राष्ट्रीय नीति, महिला आयोग (15 मई 1999) स्वास्थ्य राखी योजना (1997), मार्जिन मनी ऋण योजना (1995), राष्ट्रीय महिला आयोग (1992), स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना एवं महिला विकास (अप्रैल 2000), महिला डेयरी योजना, यू.पी. (1991), अपनी बेटी, अपना धन योजना, गुजरात (1995), महिला उत्थान योजना, उत्तर प्रदेश (1998), इंदिरा गाँधी योजना (20 अगस्त 1995), सार्क बालिका दशक (1991–2000), आपरेशन ब्लैंक बोर्ड योजना (1987–88), महिला बाल विकास विभाग की शिक्षा नीति (1987–88), कस्तुरबा गाँधी योजना (1997–98), दुरस्थ प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (1994), शिक्षा कर्मी योजना (1987), राजलक्ष्मी योजना बालिका विकास योजना (1997)।

निष्कर्ष

कहा जा सकता है कि विभिन्न योजनाओं ने भारत जैसे विशाल देश में लाखों महिलाओं को ऐसा आत्मनिर्भर व्यवसायी बनाया है, जिनका अपने जीवन भविष्य में अधिक नियंत्रणे है, स्व. सहायता समूहों में संगठित महिलाएं ऐसे कार्यों के लिए ऋण लेती है, जिनके द्वारा वे या तो अकेले आय अर्जित करके या फिर इस कार्य द्वारा अपने परिवार की आय को बढ़ाती है। ऐसी महिलाओं में विधवाएं, अकेली माताएं, बेरोजगार बीमार पति की देखरेख करने वाली महिलाएं शामिल हो सकती हैं। इतिहास और वर्तमान साक्षी है, कि जब–जब महिलाओं को अपनी क्षमता विकसित करने का अवसर मिला है महिलाओं ने बुलंदियों को छुआ है और सफलता के नये आयाम स्थापित किये हैं। 73वें संशोधन के बाद राजनीति में भी महिलाएं बढ चढकर भूमिका अदा कर रही है किंतु यह विडम्बना है, कि समाज में महिलाओं का आज भी दोयम दर्जा प्राप्त है। महिलाएं मुक्ति चाहती है, किंतु इस तनाव की दासता से पूर्ण मुक्ति एकाएक सम्भव नहीं है। सम्मिलित प्रयास द्वारा ही मुक्तिके मार्ग खोजने होंगे महिला सशक्तीकरण के लिए कुछ संकल्प करने होंगे जैसे – सशक्त होने के लिए एक जुट होना आवश्यक है, महिला कल्याण योजनाओं का विकास करे पुरूष अपनी घटिया मानसिकता से बचे सहयोग करे, महिलाएं यह समझे कि वह महत्त्वपूर्ण वोट बैंक है। पति, सहयोगी, अन्य किसी पर भी निर्भरता का त्याग कर स्वयं कार्य करने की पहल करे, अपने आत्म–विश्वास को बढ़ाये, एक आवाज में अपना पक्ष प्रस्तुत करे।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- भुवनेश्वरी रिचा (2011) महिला विकास कार्यक्रम एवं योजनाएं, रितु पब्लिकेशन, जयपुर।
- तोमर डॉ. प्रियंका (2006), इंडियन वूमन श्री पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, न्यू दिल्ली।
- गौतम ज्ञान प्रकाश (2009), महिला सशक्तीकरण एवं वैश्वीकरण।
- Dube S.C.; 1955, Indian village London : Routledge and Kegan Paul Ltd. in Kolenda, Ibid.
- Shastri Madhu (1991) : Status of Hindu Women, Jaipur, RBSA publishers.
- Singh Arun Kumar, 1991, Women in tribal society, Jaipur : Rawat publication.
- आहुजा राम (1987) क्राईम अगेन्स्ट वूमन रावत पब्लिकेशन।
- अन्सारी M.N. (2000) महिला और मानवाधिकार पंचशील, प्रकाशन, जयपुर।
- कुमावत ललित (2004), पंचायती राज एवं वंचित महिला समूह का उभरता नैतृत्व, दिल्ली क्लासिकल।

♦❐♦